

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स : 0141-2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : पीएस/डीएलबी/2020/AMRUT/Reforms/30012 दिनांक : 29/06/2020

आदेश

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य को Gross State Domestic Product (GSDP) का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 आर्थिक सेक्टर में विशेष सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को मजबूती देने हेतु शहरी सुधार सेक्टर (प्रोपर्टी टेक्स व यूजर चार्जेज) स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा राज्य की ओर से www.cityfinance.in पर प्रदर्श प्रश्नोत्तरी का जबाब भिजवाने हेतु प्रेषित की गई है।

विभाग से सम्बन्धित सुधारों पर आवश्यक कार्यवाही करने एवं भारत सरकार को सूचना प्रेषित करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्व में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। विभागीय स्तर पर सूचनायें एकत्रित करने एवं इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त अधिकारी शहरी सुधार सेक्टर (प्रोपर्टी टेक्स व यूजर चार्जेज) के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की सूचना मंत्रालय को प्रेषित करेंगे एवं भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार अपेक्षित कार्यवाही को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

29/06/20
(उज्ज्वल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : पीएस/डीएलबी/2020/AMRUT/Reforms/30013-30025 दिनांक : 29/06/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 3 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 308-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
- 5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 8 निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 9 कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लि. (RUDSICO), लालकोठी स्कीम, जयपुर।
- 10 वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
- 11 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि शहरी सुधार (प्रोपर्टी टेक्स व यूजर चार्जेज सेक्टर) से सम्बन्धित सूचना वित्तीय सलाहकार (सहायक नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 12 सुरक्षित पत्रावली।

29/06/20
निदेशक एवं संयुक्त सचिव